



## वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

वित्त समिति की 68 वीं बैठक

07 अगस्त, 2024

### कार्यवाही विवरण

वित्त समिति की 68 वीं बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2024 समय 12:00 बजे विश्वविद्यालय के मुख्यालय स्थित कुलपति सचिवालय के समिति कक्ष में माननीय कुलपति महोदय, डॉ. कैलाश सोडाणी की अध्यक्षता में (ऑफलाइन/ऑनलाइन) आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः—

1.	डॉ. कैलाश सोडाणी कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	अध्यक्ष
2.	श्री रोहित दीक्षित मुख्य लेखाधिकारी, सी.ए.डी., कोटा प्रतिनिधि (प्रमुख शासन सचिव ) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
3	डॉ. अनुज सक्सैना, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा प्रतिनिधि ( शासन सचिव, उच्च शिक्षा )	सदस्य (ऑनलाइन उपस्थित )
4.	प्रो. एन०के० पाण्डेय, हिन्दी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	सदस्य (ऑनलाइन उपस्थित )
5	प्रो. बी अरुण कुमार. सदस्य, प्रबंध मण्डल एवं निदेशक सं. यो. एवं वि. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा	सदस्य
6	डॉ० दिलीप कुमार शर्मा, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, वमखुवि, कोटा	सदस्य
7	श्री महेश चन्द मीणा नियंत्रक ( वित्त) वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति के सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारंभ करने के लिए वित्त समिति के सचिव (नियंत्रक, वित्त) को निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् नियंत्रक, वित्त द्वारा कार्यसूची विवरण प्रस्तुत किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

बिन्दु सं. 68/1 :

वित्त समिति की दिनांक 29.02.2024 को सम्पन्न 67वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

-00-

वित्त समिति की 67वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 को कुलपति सचिवालय में माननीय कुलपति महोदय प्रो. कैलाश सोडाणी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक कार्यवाही विवरण सभी माननीय सदस्यगण को जर्ये ईमेल प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् कार्यवाही विवरण प्रबंध मण्डल की 109वीं बैठक (बिन्दु संख्या 109/02 पर) अनुमोदन किया जा चुका है। कार्यवाही विवरण के अवलोकन उपरान्त सदन द्वारा अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं. 68/2 :

वित्त समिति की 67वीं बैठक दिनांक 29.02.2024 में लिये गये निर्णयों की पालना (Action Taken Report) के संबंध में।

-00-

वित्त समिति की दिनांक 29.02.2024 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया व संतोष व्यक्त किया गया।

बिन्दु सं. 68/3 :

विश्वविद्यालय परिसर में बने आवासीय भवनों का अस्थाई आवंटन एवं विश्वविद्यालय परिसर के अन्य स्थलों जैसे सभागार भवन व विज्ञान भवन के सभीप खाली पड़े भू-भाग को अस्थाई रूप से आंवटित कर किराया निर्धारण के संबंध में प्रस्ताव।

-00-

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित आवासीय कॉलोनी में विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारीयों को निजी समारोह हेतु आवासीय भवनों एवं विज्ञान भवन के पास खाली भू-भाग के अस्थायी आवंटन, रिपब्लिक पार्क को अवकाश के दिवसों में अकादमिक प्रयोजन हेतु बाह्य संस्थानों को आंवटन एवं संत सुधासागर सभागार को बाह्य संस्थानों को आंवटन हेतु इस हेतु गठित समिति द्वारा अभिशंषित दरों का अनुमोदन किया गया तथा समय-समय पर दरों के पुनिर्धारण की राय भी दी गयी। अनुमोदित दरों का विवरण निम्नानुसार है:-

सहायक कर्मचारी श्रेणी आवास - 400 रुपये प्रतिदिन प्रति आवास  
मंत्रालयिक कर्मी श्रेणी आवास - 600 रुपये प्रतिदिन प्रति आवास  
अधिकारी / लेक्चरर्स श्रेणी आवास - 1000 रुपये प्रतिदिन प्रति आवास

विज्ञान भवन के समीप खाली भू-भाग का किराया— 6,000/-रुपये  
प्रतिदिन

पानी चार्जेज —रुपये 100/- प्रतिदिन प्रति आवास  
बिजली चार्जेज —मीटर रीडिंग से प्रचलित दर अनुसार वार्षिक  
उपभोग के आधार पर लिया जावेगा।  
आवासीय भवनों के लिये सुरक्षा राशि— 5000/- रुपये

संत सुधासागर भवन के अकादमिक उपयोग हेतु किराया— राशि रुपये  
5,000/- (चार घंटे हेतु) एवं राशि ₹ 10,000/- (आठ घंटे हेतु)  
एवं 10000/-रुपये सुरक्षा राशि ली जावेगी ।

रिपब्लिक पार्क को (अवकाश दिवसों में) बाह्य संस्थानों को केवल  
अकादमिक उपयोग हेतु प्रति दिवस किराया— राशि ₹ 15,000/-

विज्ञान भवन स्थित सेमीनार हॉल का किराया गांधी भवन के किराये  
के अनुरूप रखे जाने पर भी सहमति दी गयी ।

प्रयोजन विशेष हेतु संत सुधासागर सभागार एवं रिपब्लिक पार्क बाह्य  
संस्थाओं को रियायती दर पर अथवा निशुल्क आंवटित किये जाने हेतु  
कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया ।

संत सुधासागर सभागार को उपयोग योग्य बनाने हेतु आवश्यक  
आंतरिक सज्जा करने के संबंध में प्रस्ताव।

—00—

नियत्रक, वित्त द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि संत सुधासागर भवन  
को उपयोग में लेने योग्य बनाने हेतु भवन में बाह्य इलैक्ट्रिफिकेशन कार्य  
व एयर कंडीशनिंग कार्य तथा भवन के रिनोवेशन का कार्य (सिविल  
कार्य) करवाने हेतु उप भवन समिति की 34वीं बैठक दिनांक 31.05.2024  
द्वारा अभिशंषा की गयी है। उक्त तीनों कार्यों पर लगभग  
1,43,14,466/- रुपये का व्यय होने की संभावना है, जो बिल्डिंग फण्ड  
में से किया जाना है।

नियत्रक वित्त ने सदन को यह भी अवगत कराया कि उप भवन समिति  
की 34वीं बैठक दिनांक 31.05.2024 में सीवी रमन भवन (विज्ञान भवन)  
के लिए डीजी सेट जिसकी लागत लगभग 13.29 लाख रुपये है, का  
कय किये जाने की भी अभिशंषा की गयी है।

माननीय कुलपति महोदय ने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय  
का दीक्षान्त समारोह प्रतिवर्ष उक्त सभागार में आयोजित किया जाता है  
जिसके लिये टैंट की व्यवस्था व एयर कंडीशनिंग पर लाखों रुपये खर्च  
होते हैं तथा कार्यक्रम में वांछित गरिमा नहीं आ पाती है। दूसरा भवन  
के सुसज्जित होने पर बाह्य संस्थाओं द्वारा किराये पर भवन लिये जाने  
की संभावना है जिससे विश्वविद्यालय को आय प्राप्त होगी। सीवी रमन  
भवन (विज्ञान भवन) में लैब्स संचालित है तथा इसे परीक्षा केन्द्र भी

बनाया गया है जिसमें नियमित रूप से परीक्षाओं का आयोजन करवाया जा रहा है। उक्त भवन में सेमिनार हॉल भी है जिसमें समय-समय पर व्याख्यान आदि का आयोजन किया जाता है। अतः निर्बाध विद्युत आपूर्ति आवश्यक है।

चर्चा उपरान्त सदन द्वारा संत सुधासागर भवन को सुसज्जित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया एवं विज्ञान भवन हेतु डीजी सेट कथ की भी सहमति व्यक्त की गई।

बिन्दु सं. 68/5 :

**To consider the revised estimate of Rs. 4,65,15,900.00 for “Construction of constitutional pillar & Park”.**

-00-

नियंत्रक, वित्त ने सदन को अवगत कराया कि महामहिम राज्यपाल के निर्देशानुसार राजस्थान के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क व संविधान स्तम्भ का निर्माण किया गया है अथवा किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में CPWD द्वारा संविधान उद्यान व संविधान स्तम्भ का निर्माण किया जा रहा है। उक्त कार्य हेतु राज्य सरकार से स्वीकृत राशि 324.67 लाख रुपये है। किन्तु कार्यकारी एजेन्सी के अनुसार उक्त स्वीकृत राशि 324.67 लाख रुपये में कार्य पूर्ण होना संभव नहीं है। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा पूर्व में राजभवन द्वारा निर्देशित ड्राईंग व डिजाईन एवं वास्तविक साईट के आधार पर लगभग 530.00 लाख रु का संशोधित प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किया गया जो विश्वविद्यालय द्वारा वापस लौटा दिया गया। संविधान उद्यान व स्तम्भ के निर्माण पर अब तक हुये व्यय को सार्थकता प्रदान करने व कार्य पूर्ण करने हेतु निर्णय लिया गया कि कोटा युनिवर्सिटी एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के संविधान उद्यान व स्तम्भ के समकक्ष स्तर का निर्माण कार्य किया जावे। इसके कम में कार्यकारी एजेन्सी CPWD द्वारा 465.16 लाख रु का संशोधित प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किया गया है, जिसे भवन उपसमिति की 35वीं बैठक दिनांक 18.07.2024 में अनुमोदित किया गया है। इस सदन एवं प्रबंध मण्डल से प्रस्ताव अनुमोदित होने पर राज्य सरकार से भी अनुमति प्राप्त की जानी है।

विचार-विमर्श उपरान्त संविधान उद्यान एवं स्तम्भ के निर्माण पर अब तक हुये व्यय को सार्थक बनाने एवं कार्य गरिमापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के मध्यनजर प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु सं. 68/6 :

विश्वविद्यालय में निकट भविष्य में आन्तरिक गृहकार्य जमा एवं मूल्यांकन के कार्य को ऑनलाईन करने के साथ ही परीक्षा शुल्क में रु. 120/- की वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव।

-00-

परीक्षा नियंत्रक द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय निकट भविष्य में आन्तरिक गृहकार्य जमा एवं मूल्यांकन के कार्य को ऑनलाईन करने जा रहा है, आरोकेसीएलो के माध्यम से उक्ता

कार्य करवाये जाने बाबत प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस कार्य पर पड़ने वाले वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति हेतु शुल्क वृद्धि किया जाना भी प्रस्ताव में सम्मिलित है। उक्त कार्य में लगभग रु. 20/- प्रति आन्तरिक गृह कार्य व्यय होने की सम्भवना है। प्रति विद्यार्थी औसतन 6 आन्तरिक गृह कार्य के आधार पर विद्यार्थियों से लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क में रु. 120/- की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। बढ़ा हुआ शुल्क जनवरी 2024 सत्र से लागू किया जाना प्रस्तावित है।

चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार से आरोक्तोंसीलो के माध्यम से आन्तरिक गृहकार्य जमा एवं मूल्यांकन का कार्य करवाने की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त आंतरिक मूल्यांकन कार्य ऑनलाईन प्रारंभ किया जावेगा तत्समय उक्त शुल्क वृद्धि प्रभावी होगी।

बिन्दु सं. 68/7 :

विश्वविद्यालय के परीक्षा केन्द्रों को देय मानदेय की दरों में वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव।

-00-

उक्त प्रस्ताव के संबंध में परीक्षा नियंत्रक ने सदन को अवगत कराते हुए बताया कि विगत 8 वर्षों से विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा में डियूटी देने सम्बन्धी मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है। वर्तमान में परीक्षा विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 10884 दिनांक 08.05.2015 के अनुसार मानदेय दिया जा रहा है।

विश्वविद्यालय के समक्ष परीक्षा केन्द्रों द्वारा निरन्तर यह मांग उठाई जा रही है कि सभी प्रकार के मानदेय पर पुर्णविचार करते हुये मानदेय में समुचित वृद्धि की जावे। हाल ही में विधान सभा में भी इस सम्बन्ध में अतारांकित प्रश्न पूछ कर जानकारी मांगी गई थी। सामान्यतया विश्वविद्यालय द्वारा मानदेय इत्यादि समय-समय पर राजस्थान विश्वविद्यालय की दरों के समरूप रखने का प्रयास किया जाता है। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में वर्तमान में दिये जा रहे मानदेय अनुसार वृद्धि का प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत है। इस वृद्धि से विश्वविद्यालय पर पड़ने वाले वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति हेतु परीक्षा शुल्क में रु. 100/- की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

चर्चा उपरान्त संलग्न सूची अनुसार जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में वर्तमान में प्रभावी दरों के अनुरूप है, जून, 2024 परीक्षा से प्रभावी करने एवं इस वित्तीय भार की प्रतिपूर्ति हेतु परीक्षा शुल्क में रु. 100/- की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 68/8 :

परीक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रमाण पत्र, अंकतालिका एवं दस्तावेजों के निर्धारित शुल्कों में वृद्धि का प्रस्ताव।

-00-

परीक्षा नियंत्रक द्वारा जानकारी दी गयी कि विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रमाण पत्र, अंकतालिका एवं अन्य दस्तावेजों की दरें लगभग 8 वर्ष पूर्व 2017 में निर्धारित की गई थीं जिनमें वृद्धि किया जाना अपेक्षित है।

चर्चा उपरान्त संलग्न सूची अनुसार शुल्क वृद्धि किये जाने बाबत् समिती द्वारा सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु सं. 68/9 :

समन्वयकों को पुर्नमूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करवाने का मानदेय देने का प्रस्ताव।

-00-

परीक्षा नियंत्रक ने अवगत कराया कि वर्तमान में परीक्षा विभाग द्वारा विभिन्न शहरों में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु समन्वयक नियुक्त किये गये हैं जिनके माध्यम से अन्य परीक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया जाता है। उक्त समन्वयकों को इस हेतु रु. 150/- प्रति बैग मानदेय दिया जाना स्वीकृत है। मूल्यांकन पश्चात इच्छुक विद्यार्थियों द्वारा पुर्नमूल्यांकन की व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयकों को पुर्नमूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं के पैकिट/बैग भी दिसम्बर, 2022 से मूल्यांकन करवाने हेतु भिजवाये जा रहे हैं, किन्तु इस हेतु कोई मानदेय तय नहीं होने के कारण कोई भुगतान नहीं किया गया है। पुर्नमूल्यांकन के पैकिट में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या बहुत कम होती है।

मूल्यांकन हेतु भेजे जाने वाले बैग में सामान्यतय 200–300 उत्तर पुस्तिकाएँ होती हैं जबकि पुर्नमूल्यांकन हेतु भिजवाये जाने वाले पैकिट/बैग में उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। इसलिये प्रति बैग रु. 150/- देना औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अन्य विश्वविद्यालय जैसे कोटा विश्वविद्यालय, कोटा में पुर्नमूल्यांकन हेतु रु. 50/- प्रति पैकिट/बैग मानदेय निर्धारित है।

विचार विमर्श उपरान्त पुर्नमूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करवाने हेतु दिसम्बर, 2022 से समन्वयकों को रु. 50/-प्रति पैकिट/बैग मानदेय निर्धारित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का मानदेय राशि रूपये 150/- प्रति पैकिट/बैग से बढ़ाकर भविष्य के लिये रुपये 225/- प्रति बैग किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं. 68/10 :

गोपनीय परीक्षा परिणाम जारी करने के शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव।

-00-

परीक्षा नियंत्रक द्वारा जानकारी दी गयी कि परीक्षा विभाग के कार्यालय आदेश क्रमांक 8515 दिनांक 14.05.2016 के क्रम में गोपनीय परीक्षा परिणाम जारी करने हेतु रु. 500/- प्रति पेपर विद्यार्थी से

लिया जा रहा है। गत 8 वर्षों से इस शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अतः इस शुल्क को सत्रांत परीक्षा जून, 2024 से वृद्धि कर रु. 500/- के स्थान पर रुपये 1000/- प्रति पेपर किया जाना प्रस्तावित है।

चर्चा उपान्त उक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

  
नियन्त्रक (वित्त)  
एवं सचिव वित्त समिति  


V.M.O.U.

**2**- Rates of Remuneration for Conduct of Examination at Examination Centres:-

VMOU/Exam/2015/10884 dated 08.05.2015

S.No	Designation	Per day of one session of 3 Hrs	Proposed increased Rate	Per day of two session of 3 Hrs	Proposed increased Rate	Per day of three session of 3 Hrs	Proposed increased Rate	Conveyance Charges per person per session As per order no. Exam/ dated 18-04-23	Briefing duty	No. of persons Engaged
01	Centre Superintendent	Rs.300/-	Rs.450/-	Rs.500/-	Rs.750/-	Rs.700/-	Rs.1000/-	Rs.50/-	Two	One
02	Additional Centre Superintendent (if more than 250 students per session)	Rs.200/-	Rs.300/-	Rs.350/-	Rs.550/-	Rs.500/-	Rs.700/-	Rs.50/-	One	One
03	Asstt. Superintendent	Rs.160/-	Rs.260/-	Rs.300/-	Rs.500/-	Rs.400/-	Rs.600/-	Rs.50/-	One	One
04	Invigilator	Rs.150/-	Rs.250/-	Rs.300/-	Rs.400/-	Rs.450/-	Rs.550/-	Rs.50/-	One	Minimum two in a room of 25 students and part
05	Invigilator Reserve	Rs.150/-	Rs.250/-	Rs.300/-	Rs.400/-	Rs.450/-	Rs.550/-	Rs.50/-	One	One invigilator if the number of students in that session exceeds 300
06	Internal Flying Squad	Rs.150/-	--	Rs.300/-	--	Rs.450/-	--	Rs.50/-	NIL	Upto 100 students- 02 101 to 300 students- 03 301 to 500 students- 04 More than 500 students -05

*P. Aman Kumar*

*(Signature)*

33

07	Supervisor	Rs. 150/-	Rs. 250/-	Rs. 300/-	Rs. 400/-	Rs. 450/-	Rs. 500/-	Rs. 550/-	Rs. 150/-	One	One Supervisor for every four invigilator or part of thereof
08	Ministerial Staff	Rs. 80/-	Rs. 150/-	Rs. 160/-	Rs. 230/-	Rs. 240/-	Rs. 300/-	Rs. 50/-	Two	Up to 200 Students - 3, Up to 500Students -04, every Subsequent or part of thereof - 01	Up to 200 Students - 3, Up to 500Students -04, every Subsequent or part of thereof - 01
09	Class IV	Rs.60/-	Rs.120/-	Rs.120/-	Rs.240/-	Rs.180/-	Rs.250/-	Rs.40/-	Two	Up to 50 students- 02, 51 to 100 – 04, above 100 for every 50 students or part thereof - 01	Up to 50 students- 02, 51 to 100 – 04, above 100 for every 50 students or part thereof - 01
10	Daftari	Rs.60/-	Rs.120/-	Rs.120/-	Rs.240/-	Rs.180/-	Rs.250/-	Rs.40/-	Two	One	One
11	Electrician/Pump Operator/Driver	Rs.65/-	Rs.120/-	Rs.130/-	Rs.240/-	Rs.195/-	Rs.250/-	Rs.40/-	Nill	One of necessary	
12	Chaowkidar	Rs.65/-	Rs.120/-	Rs.130/-	Rs.240/-	Rs.195/-	Rs.250/-	Rs.40/-	Nill	One	
13	Centre /Contingency/Other Expenditure	Charges	Rs. 20/- per Registered Student								

B. Munir Hussain

प्रस्ताव क्रमांक —3

परीक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रमाण पत्र, अंकतालिका एवं दस्तावेजों के निर्धारित शुल्कों में वृद्धि का प्रस्ताव

क्रमांक	विवरण	वर्तमान शुल्क	कब से लागू	प्रस्तावित शुल्क
1	पुनर्मूल्यांकन शुल्क	रु. 400/- प्रति प्रश्न पत्र	2017	रु. 600/- प्रति प्रश्न पत्र
2	अंक / श्रेणी सुधार शुल्क (प्रमाण पत्र/डिलोगा/पी.जी.डिलोगा को छाइकर) एनाटक परीक्षा एनाटकोत्तर परीक्षा	रु. 450/- प्रति प्रश्न पत्र रु. 750/- प्रति प्रश्न पत्र	2017	रु. 600/- प्रति प्रश्न पत्र रु. 900/- प्रति प्रश्न पत्र
3	डुलीकेट मार्कशीट शुल्क	रु. 100/- प्रति मार्कशीट	2017	रु. 250/- प्रति मार्कशीट
4	डुलीकेट मेरिट प्रमाण पत्र शुल्क	रु. 200/- प्रति प्रमाण पत्र	2017	रु. 300/- प्रति प्रमाण पत्र
5	अग्रिम अंकतालिका शुल्क	रु. 200/- अंकतालिका	2017	रु. 300/- प्रति अंकतालिका
6	डुप्लीकेट उपाधि शुल्क	रु. 500/-	2017	रु. 600/-
7	प्रोविजनल सर्टिफिकेट (P.C)	रु. 150/-	2017	रु. 250/-
8	प्रवर्जन प्रमाणपत्र (M.C)	रु. 150/-	2017	रु. 250/-
9	वी.ए.पी./वी.सी.पी./वी.एस.सी.पी. सर्टिफिकेट	रु. 100/-	2017	रु. 200/-
10	सत्रांत परीक्षा शुल्क (डिफाल्टर के लिए)		2017	
	1. स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम 2. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम	रु. 200/- प्रति प्रश्नपत्र रु. 300/- प्रति प्रश्नपत्र		रु. 500/- प्रति प्रश्नपत्र रु. 700/- प्रति प्रश्नपत्र
11	प्रयोगिक परीक्षा शुल्क (डिफाल्टर के लिए)		2017	
	1. स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम 2. स्नातकोत्तरीय पाठ्यक्रम	रु. 1000/- प्रति प्रश्नपत्र रु. 2000/- प्रति प्रश्नपत्र		रु. 1500/- प्रति प्रश्नपत्र रु. 2500/- प्रति प्रश्नपत्र
12	प्रोजेक्ट/लघुओग (डिफाल्टर के लिए) (अ.)स्नातक/डिलोगा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम जिनमें प्रोजेक्ट/लघुओग एवं वायवा/लेसन लान/प्रविकल शिविर लागू है।	रु. 1000/- प्रति प्रश्नपत्र	2017	रु. 2000/- प्रति प्रश्नपत्र

Bijan Kumar

✓

	(ब). स्नातक / डिलोग्राफी / साइफिकेट पाठ्यक्रम केवल प्रोजेक्ट / लक्ष्यशोध लागू है।	जिनमें	रु. 200/- प्रति प्रश्नपत्र	2017	रु. 500/- प्रति प्रश्नपत्र
	(स). स्नातकोत्तर डिलोग्राफी पाठ्यक्रम जिनमें प्रोजेक्ट / लक्ष्यशोध एवं वायवा / लेसन ज्ञान / प्रेविटकल शिविर लागू है।	रु. 2000/- प्रति प्रश्नपत्र	2017	रु. 4000/- प्रति प्रश्नपत्र	
	(द). स्नातकोत्तर डिलोग्राफी रसायन विद्यालय कार्यक्रम जिनमें केवल प्रोजेक्ट / लक्ष्यशोध लागू है।	रु. 300/- प्रति प्रश्नपत्र	2017	रु. 700/- प्रति प्रश्नपत्र	
13	विश्वविद्यालय में प्रवेशरत विद्यार्थियों की परीक्षा पश्चात मास्टर डेटा (विद्यार्थी, पिता, माता के नाम में संशोधन एवं विद्यार्थी की जन्मतिथि में संशोधन का शुल्क	रु. 200/- प्रति प्रश्नपत्र	2019	रु. 400/- प्रति प्रश्नपत्र	
14	मूल अकातलिका परीक्षा विभाग में वापस लौटाने के उपरान्त विद्यार्थी को पुनः प्रेषित करने का शुल्क	रु. 50/-	2017	रु. 100/-	
15	Original Transcript का शुल्क अतिरिक्त प्रथक प्रति प्राप्त करने का शुल्क	रु. 3000/- रु. 500/-	2017	रु. 5000/- रु. 1000/-	

Bhupinder